

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर-सिटी, जिला - ग्वालियर (म.प्र.)

एस.डी.ओ.-प्र.क्र. - 24/2015-16/172(1)
ओ.एस.डी.-प्र.क्र. - 10/2015-16/172(1)

फिरदौस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन द्वारा डायरेक्टर श्री
विजय पमनानी पुत्र स्व. श्री डी.सी. पमनानी निवासी
हैदरगंज सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर

बनाम
मध्यप्रदेश शासन.

॥ आ दे श ॥

(दिनांक 24/06/2016 को पारित)

आवेदक फिरदौस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन द्वारा डायरेक्टर श्री विजय पमनानी पुत्र स्व. श्री डी.सी. पमनानी निवासी हैदरगंज सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर द्वारा ग्राम कुलैथ प.ह.नं. 42 तहसील व जिला ग्वालियर के सर्वे क्रमांक 1810/2मि.1 रकवा 1.254 है, 1810/2मि.1 रकवा 0.105 है, 1811/1मि.2 रकवा 1.148 है, 1811/1मि.1 रकवा 0.492, 1811/2, 1811/3 रकवा 0.188 है, 1811/4, 1811/5 रकवा 0.283 है, 1811/6, 1811/7 रकवा 0.292 है, कुल रकवा 3.763 हैक्टर में से 0.418 हैक्टर अर्थात् 45,000 वर्गफुट भूमि पर व्यवसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के तहत पजीबद्ध किया गया।

राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि भूगिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रकरण में विक्रय पत्र खसरा वर्ष 2010-11, बी-1 वर्ष 2015-16, नक्शा, अक्स ग्राम पंचायत कुलैथ द्वारा व्यवसायिक उपयोग हेतु स्वीकृत नक्शा की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में संलग्न कार्यालय विशेष पत्र विकास प्राधिकरण (माधव राव काउन्टर मैनेट) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्वालियर म.प्र. के पत्र क्रमांक/तक/वि.क्षे.वि.प्रा./2016/7669 ग्वालियर दिनांक 31.05.2016 द्वारा प्रश्नाधी भूमि सर्वे क्रमांक का भूमि उपयोग ग्रामीण कृषि एवं खुला क्षेत्र उल्लेखित किया गया है।

एस.एल.आर. डायवर्सन से प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें व्यवसायिक (शैक्षणिक) डायवर्सन किये जाने की अनुशंसा की गई है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बंध में नजूल अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 102/2015-16/बी-121 आदेश दिनांक 03.06.16 द्वारा नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा व्यवसायिक (शैक्षणिक) प्रयोजन हेतु डायवर्सन की अनुज्ञा देने पर रकवा 45,000 वर्गफुट भूमि पर व्यवसायिक दर से वार्षिक परिणामत नू-राजस्व रु. 7124= 00 एवं पंचायत उपकर नू-राजस्व रु. 35673= 00 तथा प्रीमियम रु. 63,000= 00 कुल रूपये रु. 79701= 00 (रूपये तेहत्तर हजार सात सौ एक मात्र) वर्ष 2015-16 आवेदक पर देय होगा।

प्रकरण में संलग्न समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा यह माना गया कि जारी किए गए शर्तों के साथ प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवसायिक (शैक्षणिक) कार्य हेतु डायवर्सन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर निम्न शर्तें अधिसूचित की गयीं हैं-
उक्त हुये व्यवसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुज्ञा प्रदान की जाती



ATTESTED

Rakesh Awasthi
Notary Public Govt. of India Gwalior

8 APR 2017

Kaushal
Secretary
Anjuman Shiksha Prasthan
Parsar Sumti, Gwalior

/2/

एस.डी.ओ.-प्र.क्र. - 25/2015-18/172(1)
 ओ.एस.डी.-प्र.क्र. - 10/2015-18/172(1)


- 1- आवेदक एस.एल.आर. डायवर्सन की गणना अनुसार परिवर्तित भू राजस्व रु. 7134= 00 एवं पंचायत उपकर रु. 3587= 00 तथा प्रीनियम रु. 63,000= 00 कुल रूपये रु. 73701= 00 (रूपये सहस्तर हजार सात सौ एक मात्र) की राशी राजकीय कोष में जमा करें तथा प्रतिवर्ष आगामी वर्ष अक्टूबर 2017 से राजकीय कोष में परिवर्तित भू-राजस्व रूपये रु. 7134= 00 एवं पंचायत उपकर रु. 3587= 00 राजकीय कोष में जमा करना सुनिश्चित करें।
- 2- आवेदक कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर/मुख्य कार्यलयीन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ग्वालियर/नगर निगम/सम्बंधित ग्राम पंचायत से प्ररनाधीन भूमि पर निर्माण के लिये स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही निर्माण कार्य प्रारंभ करें।
- 3- स्थल पर लोक न्यूसेंस की गतिविधि वर्जित है तथा सामाजिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समूह पर्यावरण संतुलन बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 4- स्थानीय निकाय/पंचायत /नगर निगम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।
- 5- पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने पाये।
- 6- आवेदक म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम में वर्णित नियमों का पूर्ण पालन करेंगे।
- 7- निर्माण के दौरान शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।
- 8- निर्माण के पूर्व भवन ड्रॉइंग, छज्जों आदि का निर्माण तथा विन्यास मुताबिक खाली स्थान छोड़ा जाना तथा निर्धारित "फ्लोर एरिया" अनुपात का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
- 9- यदि व्यवर्तन अनुज्ञा आदेश पारित करने के उपरांत प्ररनाधीन भूमि के स्वत्व संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- 10- आवेदक को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा म.प्र. भू-विकास नियम 2012 एवं विशेष क्षेत्र विकास योजना 201 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा, तथा बताये गये भू उपयोग अनुसार ही निर्माण करना होगा। यदि मास्तर प्लान के अनुसार निर्माण नहीं होता है तो यह व्यवर्तन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई अधिरोपित राशि (परिवर्तित भू-राजस्व, प्रीनियम, आदि) वापिस योग्य नहीं होगी।
- 11- आवेदक अन्य सम्बंधित विभाग से भी निर्माण पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।
 उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई डायवर्सन की अनुमति निरस्त की जावेगी।
 "बी-1" में अमल हो- प्रकल्प दायरा से कम हो तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु एस.एल.आर डायवर्सन को वापस किया जाये।

ATTESTED


 Rakesh Awasthi
 ary Public Govt. of India Gwalior

8 APR 2017

(मु.वि.सं.डी. (वि.सं.))
 एवं
 वि.सं.डी. (वि.सं.डी.)
 वि.सं.डी. (वि.सं.डी.)


 Secretary
 Anjuman Shiksha Prachar
 Pansar Samiti, Gwalior